न्यायालय विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986)/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी–पारूल अत्री (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code No.–UP6442)

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1070/2026

CNR-UPAL010023392026

बिस्मिल्ला पत्नी अबरार, निवासी पिपलैना, थाना धोलना, जनपद हापुड़, हाल निवासी ग्राम रामपुर शाहपुर, थाना चण्डौस, जिला अलीगढ़।

.....अभियुक्त/आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–53/2025,
धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट 1986
थाना–गभाना, जिला अलीगढ़

07–03–2026 **जमानत आदेश**

प्रार्थिया/अभियुक्ता बिस्मिल्ला की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 53/2025, अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986,थाना गभाना, जिला अलीगढ़ में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से जमानत आवेदन में संक्षेप में सशपथ कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों में उसकी जमानत हो चुकी है। उसकी मौके की गिरफ्तारी नहीं थी। उक्त केस में पब्लिक का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। उस पर दर्शाये गये मुकदमें गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं। उसका जनता में कोई भी भय व्याप्त नहीं है और वह किसी गिरोह की सदस्य नहीं है। वह लगभग एक वर्ष से जिला कारागार में निरूद्ध है और सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। वह अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। उसकी ओर से कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रक. रण में न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है,न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिया/अभियुक्ता एक संगठित गिरोह की सदस्य है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त हाजी फैय्याज है। गैंग चार्ट के अनुसार प्रार्थिया/अभियुक्ता मुकदमा अपराध संख्या–401/2024 धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना गभाना एवं मुकदमा अपराध संख्या 397/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना गभाना, अलीगढ़ की अभियुक्ता है। अभियुक्ता के द्वारा अपने गैंग के अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित गिरोह के भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिये अवैध रूप से गौकशी जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं। जिसका जनता में भय व आतंक व्याप्त है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस करते हुए अभियुक्ता को निर्दोष होने, गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमे को झूंठा पंजीकृत होने तथा गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमें में अभियुक्ता को जमानत पर होने व अभियुक्ता को किसी गैंग का सदस्य या लीडर न होने का कथन करते हुए जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता शातिर अपराधी है। अभियुक्ता गैंग की सदस्य है। उसके द्वारा अपने गैंग के अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित गिरोह के भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिये अवैध रूप से गौकशी जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं। सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके है।अतः जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी व अन्य संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ गैंग बनाकर गौकशी जैसे अपराध किये जाने के आरोप के आधार पर यह गैंगेस्टर वाद संचालित हो रहा है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्ता पर मुकदमा अपराध संख्या 401/2024 धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना गभाना एवं मुकदमा अपराध संख्या 397/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना गभाना, अलीगढ के अभियोग पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त डोजियर चार्ट के अनुसार गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें के अतिरिक्त अभियुक्ता बिस्मिल्ला पर निम्नलिखित मुकदमें भी पंजीकृत हैं–

1.मु0अ0सं0 307/2022 धारा 379 भा0 दं0 सं0, थाना चण्डौस, अलीगढ़
2.मु0अ0सं0–364/2022 धारा 379 भा0दं0सं0, थाना चण्डौस, अलीगढ़
3.मु0अ0सं0–547/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सासनीगेट,अलीगढ़
4.मु0अ0सं0–548/2018 धारा 25/3/4 आयुध अधिनियम, थाना सासनीगेट,अलीगढ़
5.मु0अ0सं0–366/2023 धारा 5 गोवध निवारण अधिनियम, 11पशु क्रूरता अधिनियम, 120बी/429 भा0दं0स0ं, थाना अकराबाद, अलीगढ़
6.मु0अ0सं0–439/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना अकराबाद, अलीगढ़।

अभियुक्ता बिस्मिल्ला गिरोह की सदस्या है। प्रश्नगत प्रकरण में विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने से मामले के साक्षीगण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने एवं अभियुक्त द्वारा पुनः इसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमें में जमानत स्वीकार होने मात्र से अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है।सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं।

अतः अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) (ख) में निहित विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता **बिस्मिल्ला** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या–1070/2026 मुकदमा अपराध संख्या–53/2025 अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना गभाना, जिला अलीगढ़ **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 07–03–2026

(पारूल अत्री)
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–04, अलीगढ़

टाइपकर्ता–बिपुल कुमार श्रीवास्तव(आशुलिपिक)

Digitally signed by PARUL ATTRI
Date: 2026.03.07 14:19:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court